FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

पूनी देवी **बनाम** धापा वगैरह

किस्म मुकदमा– राजस्व अपील नम्बर 63 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.2021	अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट एवं रेस्पोडैन्ट नं0 1 स्वयं ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 26.11.2021 को राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार लवाण द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 12.8.2013 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडैन्ट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश से व्यक्ति होकर अपीलांट पूनी देवी ने अपील पेशउक्त विभाजन पूर्व में किये गये मनबट विभाजन से गलत हो गया है। दोनो खातेदारान अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का मीटस व बाउंडस पुनः विभाजन करवाना चाहते है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा दिनांक 12.8.2013 को किया गया विभाजन आदेश एवं विभाजन आदेश की पालना में खोला गया नामांतरकरण निरस्त किया जावे। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार लवाण द्वारा भूमि के समस्त खातेदारान की उपस्थिति में एवं मौके का निरीक्षण कर उक्त विभाजन आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लवाण द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 12.8. 2013 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भंडार हो। जिला कलक्टर जिला कलक्टर दौसा दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official